

प्रारूप-iii
(पीत-पत्र के बदले में)

गै0स0प्रे0सं0-भवन/समन्वय/वि0स0/विविध-04/2023...../ पटना, दिनांक-

1. मुख्य अभियंता(दक्षिण),
2. मुख्य अभियंता(उत्तर),
3. मुख्य अभियंता(पटना),
4. मुख्य अभियंता(निरूपण),
5. मुख्य अभियंता (गुण नियंत्रण)
6. मुख्य विद्युत अभियंता एवं
7. निदेशक अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन-सह-क्रय कोषांग, भवन निर्माण विभाग।

बिहार विधानमंडल के दिनांक-10 जुलाई 2023 से 14 जुलाई 2023 तक आहूत सत्रावधि के दृष्टिगत निदेशानुसार कहना है कि विभाग से संबंधित विधायी कार्यों के त्वरित निष्पादनार्थ बिहार विधानमंडल से प्राप्त प्रश्नों, ध्यानाकर्षण आदि से संबंधित उत्तर सामग्री संबंधित कार्यपालक अभियंताओं/अधीक्षण अभियंताओं से दूरभाष पर या मुख्यालय में आहूत बैठकों में उपस्थित कार्यपालक अभियंताओं/अधीक्षण अभियंताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर संबंधित मुख्य अभियंता/अभियंता-प्रमुख के सचिव प्रावैधिकी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को त्वरित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

3. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(शिव रंजन)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- भवन/समन्वय/वि0स0-विविध-04/23...../पटना, दिनांक- 27/6/23

प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव/अभियंता-प्रमुख के सचिव (प्रा०)/संयुक्त सचिव/ उप सचिव/अवर सचिव/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता एवं सभी प्रशाखा पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।